

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-253/2021
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत
श्री प्रभु पाल वगैरह—विक्रेतागण
प्रति
श्रीमती ज्योति देवी वगैरह—क्रेता

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेतागण) (1) श्री प्रभु पाल, (2) श्री कुलदीप पाल, (3) श्री उपेन्द्र पाल, (4) श्री जितेन्द्र पाल, सभी के पिता—रामध्यान पाल, ग्राम—सहिजना, पोस्ट—गढ़वा, थाना—गढ़वा, जिला—गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेतागण (1) श्रीमती ज्योति देवी, पति—श्री सुजित कुमार ठाकुर, ग्राम—करमडीह, पोस्ट—मझिआँव, थाना—मझिआँव, जिला—गढ़वा (2) श्री राजेश कुमार ठाकुर, पिता—श्री रामजी ठाकुर, ग्राम—रमना, पोस्ट—रमना, थाना—रमना, जिला—गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, गढ़वा से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा के पत्रांक 196/दिनांक 21.06.2022 के द्वारा अंचल अधिकारी, गढ़वा का जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन के साथ प्राप्त हुआ, एवं विक्रेतागण के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेतागण के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि के विक्रेतागण के माँ बरती देवी के नाम से मांग पंजी II के पृष्ठ सं०-76/13 पर चलता है। सभी विक्रेतागण जाति के पाल गड़ेरी (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता सं०-1 नाई, क्रेता सं०-2 नाई हजाम (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है, विक्रेतागण एवं क्रेतागण दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेतागण प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक (विक्रेतागण) के शांतिपूर्ण दखल-कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा एवं अंचल अधिकारी, गढ़वा के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक (विक्रेतागण) (1) श्री प्रभु पाल, (2) श्री कुलदीप पाल, (3) श्री उपेन्द्र पाल, (4) श्री जितेन्द्र पाल, सभी के पिता—रामध्यान पाल, ग्राम—सहिजना, पोस्ट—गढ़वा, थाना—गढ़वा, जिला—गढ़वा ने क्रेतागण (1) श्रीमती ज्योति देवी, पति—श्री सुजित कुमार ठाकुर, ग्राम—करमडीह, पोस्ट—मझिआँव, थाना—मझिआँव, जिला—गढ़वा (2) श्री राजेश कुमार ठाकुर, पिता—श्री रामजी ठाकुर, ग्राम—रमना, पोस्ट—रमना, थाना—रमना, जिला—गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तानान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण:-

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
सहिजना	345	191	15	0.04	उ०-नीरज चौबे, द०-विक्रेतागण द्वारा 10 फिट चौड़ा रास्ता छोड़ा गया पू०-बालचन्द राम, प०-नीज विक्रेतागण,
कुल रकबा:-				0.04	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्ता,
गढ़वा

अपर समाहर्ता,
गढ़वा